

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०- 1/उ०नि० स्वैच्छिक सेवानिवृति-11/2015

आदेश

श्री गोपाल कृष्ण गौड़, कुशल शिल्पी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान, संस्थान, पटना को उनके पत्रांक शून्य दिनांक 02.11.15 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु किये गए अनुरोध एवं इस सम्बन्ध में उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के पत्रांक 16 दिनांक 06.01.16 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74, (बी०)(i) एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6190 दिनांक 27.04.1979 के कंडिका-1 एवं 2 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 29.02.16 के अपराहन से स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक
1/उ०नि० स्वैच्छिक सेवानिवृति-11/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक
1/उ०नि० स्वैच्छिक सेवानिवृति-11/2015


प्रतिलिपि:- उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/उप विकास पदाधिकारी उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/सचिव के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गोपाल कृष्ण गौड़, कुशल शिल्पी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 849 /पटना, दिनांक 26.2.16

1/उ०नि० स्वैच्छिक सेवानिवृति-11/2015

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निर्गत आदेश को उद्योग विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।